

3

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ  
सीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.  
ना पत्र अन्तर्गत धारा:- 75 एल.आर.एक्ट  
रण संख्या: 005/2025

- 1 मोहम्मद साजिद पुत्र लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 2 जुवेदा पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 3 माफिया पुत्री लियाकत अली जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-:अपीलांट

बनाम्

- 1 ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 2 अनारा बीबी पत्नी मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 3 मोहम्मद रमजान पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-असल रेस्पोंडेंट

- 4 किस्मत अली पुत्र मो. रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 5 माफिया पुत्री मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 6 साबर अली पुत्र मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 7 हुसना (माता मन्जूरा पत्नी मोहम्मद रमजान) पुत्री मोहम्मद रमजान जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नंबर 5, नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ।

-तरतीबी रेस्पोंडेंट

स्थित :-

1. श्री रामानंद बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2, 3
3. राजपैरोकार

-:निर्णय:-

दिनांक 17.02.2026

अधिवक्ता अपीलांट श्री रामानंद बोहरा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्व अधिनियम जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 3 अपीलांट के ना है। रेस्पोंडेंट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूरा व द्वितीय पत्नी अनारा बीबी है। रेस्पोंडेंट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूरा के दो पुत्रियां सलीमा व हुसना हुई, अपीलांट मन्जूरा की

सलीमा की संतान है तथा रेस्पोंडेंट संख्या 4 रेस्पोंडेंट संख्या 3 की द्वितीय पत्नी व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 रेस्पोंडेंट संख्या 3 की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न संतान है। यह कि अपीलान्ट के नाना रेस्पोंडेंट संख्या 3 के नाम से निम्नलिखित पैतृक कृषि राजस्व अभिलेख में दर्ज है :-

चक 6 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 71/48 कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 3 के नाम 354/1771 हिस्सा यानि 0.708 हैक्टेयर।

इस प्रकार रेस्पोंडेंट संख्या 3 के नाम उक्तानुसार कुल 0.708 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। यह कि अपीलान्ट ने रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 7 के विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर

जानगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद बअनवानी मोहम्मद साजिद बनाम मोहम्मद रमजान के प्रस्तुत कर अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में घोषणात्मक डिक्री पारित होने का अनुतोष याचित किया जो वादपत्र राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 3 को उक्त वादपत्र के लम्बित होने की भली भांति जानकारी

तथा वह उक्त वादपत्र में उपस्थित भी आया हुआ है लेकिन रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने अपीलान्ट को वैध हिस्सा से वंचित करने के आशय से कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से रेस्पोंडेंट संख्या 2 के पक्ष में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 6 एलएलडब्ल्यू के खाते में अपने नाम

कृषि भूमि का इंतकाल संख्या 678 दिनांक 04.12.2024 को दर्ज करवा दिया तथा यह गलत रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने बिना कोई जांच किये अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक कर दिया। इस इंतकाल से अपीलान्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठराघात हो रहा है। इस इंतकाल से अपीलान्ट के हित सारवान रूप से प्रभावित हुये है। इस इंतकाल से प्रभावित होकर अपीलान्ट यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है:-

यह कि आक्षेपित अपीलाधीन इंतकाल संख्या 678 दिनांक 04.12.2024 कतई गलत, विरुद्ध एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन इंतकाल अपास्त होने योग्य है।

यह कि अपीलान्ट की नानी मन्जूर अर्थात् रेस्पोंडेंट संख्या 3 की प्रथम पत्नी मन्जूर का निधन हो गया। अपीलान्ट की नानी के स्वर्गवास (इंतकाल) होने पर रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया गया कि मन्जूर के दो पुत्रिया सलीमा व हुसना है, इसलिए उन्हें मेहर के रूप में कृषि भूमि दी जानी चाहिए। इसी अनुसरण में रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा अपीलान्ट की नानी के इंतकाल पर अपीलान्ट की माता सलीमा व हुसना को मेहर की राशि स्वरूप अपने नाम

उक्त कुल 2.577 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा यानि 0.859 हैक्टेयर भूमि देनी तय की तथा इस 1/3 हिस्सा में से अपीलान्ट को 1/2 हिस्सा यानि 0.4295 है। कृषि भूमि की राशि स्वरूप देनी तय की गई, इससे स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट भी अधिकारदार है लेकिन रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 ने आपस में मिलीभगत का उक्त इंतकाल दर्ज करवाया है, इस कारण भी इंतकाल अपास्त होने योग्य है।

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 3 द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 2 के पक्ष में करवाया गया उपहार पत्र गलत है तथा उपहार में अन्तरित की गई कृषि भूमि के कब्जा का आदान प्रदान भी करवाया हुआ है। इस कारण से प्रश्नगत उपहार दिखावटी व बनावटी होने से प्रारम्भतः ही अवैध

शून्य है तथा इस शून्य उपहार पत्र के आधार पर दर्ज इंतकाल भी कतई गलत व विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 678 दिनांक 04.12.2024 अपास्त किया जावे।

» अपील प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट्स तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोंडेंटस सं. 2, 3 की तरफ से अधिवक्ता रामकुमार कर्वां जैर आये।

अधिवक्ता अपीलांटस् व रेस्पोंडेंटस संख्या 2, 3 को दौराने बहस सुना गया। अधिवक्ता रिपोर्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम पर एतराज किया गया व अपील पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमने उभय पक्षकारण की ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन नानुसार है।

1 रेस्पोंडेंट संख्या 3 को उक्त वादपत्र के लम्बित होने की भली भांति जानकारी थी तथा वह उक्त वादपत्र में उपस्थित भी आया हुआ हे लेकिन रेस्पोंडेंट संख्या 3 ने अपीलाण्ट को वैध हिस्सा से वंचित करने के आशय से कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से रेस्पोंडेंट संख्या 2 के पक्ष में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 6 एलएलडब्ल्यू में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि इंतकाल संख्या 678 दिनांक 04.12.2024 को दर्ज करवा दिया तथा यह इंतकाल रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने बिना कोई जांच किये अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना खरीद कर दिया। इस इंतकाल से अपीलाण्ट के साम्पतिक अधिकारों पर कुठराघात हो रहा है। अपीलाण्ट उक्त इन्तकाल जैर से व्यथित होकर उक्त वर्णित बिन्दुवार अपील प्रस्तुत की गई है।

2 चक 6 एलएलडब्ल्यू नामान्तकरण सं. 678/04.12.2024 द्वारा मोहम्मद रमजान के साबर अली पुत्र अनारा बीबी पत्नी मोहम्मद रमजान के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र से नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोंडेंट सं. 2 वर्तमान में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में अपील के संबध में उदार दृष्टिकोण रखना आवश्यक प्रतीत होता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण सं. 678/04.12.2024 के द्वारा मोहम्मद रमजान से अनारा बीबी पत्नी मोहम्मद रमजान के पक्ष में पंजीकृत उपहार पत्र से नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पोंडेंट सं. 2 वर्तमान में अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। जिसे हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार मोहम्मद रमजान ने अपने अपना हिस्सा मंजूरा की पुत्रियों के पक्ष में हिब्बा कर दिया था लेकिन हिब्बा के प्रमुख तत्व 1 हिब्बा करने वाले की सुस्पष्ट स्थिति 2 गृहिता की सुस्पष्ट स्वीकृति 3 कब्जे का स्थानान्तरण के संबध में ऐसे कोई " निश्चात्मक सबूत " अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। नामान्तकरण एक फीसीकल प्रक्रिया है। अतः हस्तगत प्रकरण में

अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

-:क्रिन्याविति आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांत अन्तर्गत धारा 75 स्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारवान नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास दिया गया।

(मांगी लाल) RAS

सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ़